प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं0– 01375–224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड वन विभाग हैल्प लाईन नं0 1926

पत्रांक– 219 / 12–1 बड़कोट, दिनांक 31, जुलाई / 2025

सेवा में,

विंध्या टेलिलिंक्स, लिमिटेड,
मोहाली, चण्डीगढ।

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत Barnigad to Sharukhet (Total length 18.20 k.m) (0.546 ha.) तक आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/कि0मी0) विंध्या टेलिलिंक्स, लिमिटेड (Vindhya Telelinks Limited) को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति/स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। FP/UK/OTHERS/31908/2018**

संदर्भः– **आपके कार्यालय का पत्रांक–VTLEPC/TEL/UK/51 दिनांक 30.06.2025 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 979/12–1, दिनांक 23.09.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्र संख्या–393(1)/X–4–18/1(77)/2018, दिनांक 02.05.2018 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के क्रम में एन0पी0वी0 धनराशि एवं रिक्त पडे स्थानों पर 100 वृक्षों के रोपण हेतु धनराशि का मांग पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रचलित एन0पी0वी0 दरों एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी दरों में के आधार पर पुनः संशोधित मांग पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अतिरिक्त धनराशि जमा करने एवं सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों के क्रम में अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह भी अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत हुए काफी समय हो चुका है, अतः प्रकरण में आपके स्तर से प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत Barnigad to Sharukhet (Total length 18.20 k.m) (0.546 ha.) तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/कि0मी0) प्रस्ताव पर सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

क्र0 सं0	योजना का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (है0) में	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल है0 में	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के आदेश सं0 5–3/2011–FC(VOL-I) दिनांक 06.01.2022 (N.P.V. दर प्रति है0) तथा प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक–क–1191/3–5–2(FC), दिनांक 26.03.2025 के अनुसार वसूली वर्ष 2025–26 हेतु रिक्त पडे स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षारोपण के लिए प्रति वृक्ष निर्धारित दर अनुसार	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत Barnigad to Sharukhet (Total length 18.20 k.m) (0.546 ha.) तक आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु (लगभग 35 पोल/कि0मी0) प्रस्ताव	0.546	5	0.1	1–एन0पी0वी0 की धनराशि	0.546	1005210 प्रति है0	5,48,845.00
					2– रिक्त पडे स्थानों पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षीय रख रखाव	100 वृक्ष	2143 प्रति वृक्ष	2,14,300.00
					योग	–	–	7,63,165.00
					पूर्व में जमा धनराशि	–	–	4,68,722.00
					अवशेष जमा की जाने वाली धनराशि	–	–	2,94,423.00
	कुल योग				दो लाख चौरान्बे हजार चार सौ तेईस रू0			**2,94,423.00**

नोट– उक्त धनराशि वसूली वर्ष 2025–26 के अनुसार मांगी गई है। यदि आपके द्वारा इस वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि जमा नही कराई जाती है तो जिस वित्तीय वर्ष में जमा कराई जायेगी उसी वसूली वर्ष के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।